

अतः पत्राबली पूर्वदिनांकानुसार ~~\_\_\_\_\_~~

को भेजा है ✓

24.8.23

24/8/23

वकील पार्सी उपोपस्थित यहाँ पर  
दुकानों में पत्र भेजने पर जारी देकर पत्रों को  
डिस्क 12/8/23 को भेजा है ✓




ख  
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जा इ  
हुक्म की तामी  
में जारी हुए

पुनश्च: वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व के  
 प्रार्थना पत्र बाबत विद्वां करामे का  
 दिनांक 14.8.2023 को पेश किया गया  
 है. प्रार्थना पत्र 212 विद्वां कराने में प्रार्थी  
 मय अधिवक्ता की सहमति होने से विद्वां  
 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
 प्रां.पत्र 212 र.ता की कार्यवाही की  
 एवम् समाप्त की जाती है। पत्रावली  
 प्रामुखात् लेखक नंबर 6 कर दी।  
 प्रां.पत्र रद्द कर दिया।

  
 अधिवक्ता अधिकारी  
 बड़ीसालड़ी (चित्तौड़गढ़)